

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (117)एमई/ग्रुप-1/91

जयपुर, दिनांक

01 JAN 2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर वी अनुशंभा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित चिकित्सकों को सहायक आचार्य, टी.बी. एवं चेस्ट के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे 6600/-) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र.स.	नाम चिकित्सक एवं पता	मेरिट नं.	श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ शीतू सिंह 167 अफसर कैम्पस विस्त सिरसी रोड, जयपुर-30201	मेरिट नं.1	सामान्य महिला	11.06.1983	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
2.	डॉ आशीष कुमार सिंह धोगालाल नर्सिंग होम शाहपुरा रोड, नीमकाथाना, जिला सीकर	मेरिट नं.2	सामान्य	25.05.1979	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
3.	डॉ गोविन्द सिंह राजावत 10, अम्बिका कॉलोनी, थाना सांगानेर, टैंक रोड, जयपुर	मेरिट नं.4	सामान्य	08.10.81	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
4.	डॉ मोहम्मद जावेद कुरेशी वार्ड नं. 11, बडी मंजिर के पास, मोहल्ला व्यापारियान, पो. लोसल, त.दातारामगढ, जिला-सीकर	मेरिट नं.6	ओबीसी	10.07.83	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
5.	डॉ दीपक चोपडा, 11 नीथर जालम निवास, पावर वी रोड जोधपुर	मेरिट नं.7	सामान्य	06.11.1977	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
6.	डॉ मनोज मीणा 1/एच/383, सेक्टर-1, इन्द्रगांधी नगर, जगतपुरा	मेरिट नं.10	अजजा	31.08.1982	मेडिकल कॉलेज कोटा
7.	डॉ राजवीर कुलदीप वीपीओ रिस्रोड, त. खवलगढ, जिला-डुण्डुबु।	मेरिट नं. 13	अजा	20.07.1984	मेडिकल कॉलेज, अजमेर।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/ क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैक्रेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों व अध्यक्षीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लंबित एस.बी. सिविल पिटीशन न. 8412/2012 में अंतिम निर्णयों के अध्यक्षीन होगी।

आज्ञा से,  
(कैलाश चंद राव)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(46)भर्ती/गोपनीय/2008-09/276दिनांक 05.09.2013 के क्रम में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा ।
5. संबंधित चिकित्सको को (रजिस्टर्ड डाक से)।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव